Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32–2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 2, 2021 (PHALGUNA 11, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd March, 2021

No. 2-HLA of 2021/7/4485.— The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 2–HLA of 2021

THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:–

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

Amendment of section 174 of Haryana Act 19 of 2017.

2. In sub-section (2) of section 174 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017,–

(i) in the second proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that the Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, as it may deem necessary to remove any difficulty which may arise in giving effect to the actions of the said repealed or amended Acts as saved by this sub-section:

Provided further that the power to issue such order shall not be exercised after the expiry of a period of five years from the commencement of the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 and such power shall include the power to give retrospective effect to such notification:

Provided further that every such order issued so as to remove any difficulty which may arise shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra state supply of goods or services or both by the State Government.

2. Goods and Services Tax Act was implemented in the country as well as in the State with effect from the 1st July, 2017. The provisions of Sub-section (1) of Section 174 of the HGST Act, 2017 mentions the State Acts which have been repealed after implementation of Goods and Services Tax Act except for the provisions saved under the provisions of HGST Act. Sub-section (2) of Section 174 mentions the actions which are saved after repeal of the Acts referred to in the section 174 (1).

Now, certain difficulties are being faced in giving effect to these saved actions which require certain amendments or modifications in the repealed Acts. Whereas after implementation of GST Law under the provisions of 101st Constitutional Amendment Act, the State Government does not have power to amend or modify the Acts which have been repealed and it is necessary to remove such difficulties tocarry out these saved actions. Therefore, it has become necessary to amend Sub-section (2) of Section 174 to empower the State Government to issue Removal of Difficulty Orders in respect of such difficulties, as arising,so that the actions as saved may be implemented.

Hence this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 2nd March, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 2 एच.एल.ए.

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकता है।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 174 का संशोधन ।

2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उप–धारा (2) में,–

(i) द्वितीय परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है जो इसे किसी कठिनाई जो इस उप–धारा द्वारा यथा व्यावृत्त उक्त निरसित या संशोधित अधिनियमों की कार्रवाईयों को प्रभावी रूप देने में उत्पन्न हो सकती है, को दूर करने के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यह और कि ऐसे आदेश जारी करने की शक्ति हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद प्रयोग नहीं की जाएगी और ऐसी शक्ति में ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी :

परन्तु यह और कि किसी कठिनाई, जो उत्पन्न हो सकती है, को दूर करने के लिए इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक ऐसा आदेश, इसके बनाए जाने के बाद, यथा शीघ्र, विधान सभा के सम्मुख रखा जाएगा।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतः राज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

2. प्रथम जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर अधिनियम को सम्पूर्ण देश के साथ–साथ हरियाणा राज्य में लागू किया गया। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उप–धारा (1) के प्रावधान उन राज्य अधिनियमों को निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें माल और सेवा कर अधिनियम लागू होने के बाद निरसित किया गया है सिवाय उन प्रावधानों के जिन्हें हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम में व्यावृत्त किया गया है। धारा 174 की उप–धारा (2) उन कार्यवाहियों के बारे में निर्दिष्ट करती है जिनकी धारा 174(1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसित होने के बाद व्यावृत्ति की गई है।

अब, इन व्यावृत्त की गई कार्यवाहियों का निर्वाह करने के लिए कतिपय कठिनाईयां सामने आ रही हैं जिनको दूर करने के लिए निरसित किए गए अधिनियमों में संशोधन अथवा सुधार की आवश्यकता है। जबकि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जीएसटी कानून के लागू होने के बाद राज्य सरकार की निरसित किए गए अधिनियमों में संशोधन अथवा सुधार करने की शक्ति समाप्त हो चुकी है और इन व्यावृत्त की गई कार्यवाहियों को करने के लिए इन कठिनाइयों को दूर करना आवश्यक है। इसलिए, यह आवश्यकता है कि इन उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के संदर्भ में धारा 174 की उप–धारा (2) में संशोधन किया जाए जिससे राज्य सरकार को ''कठिनाईयों का निवारण आदेश'' जारी करने के लिए सशक्त किया जाए जिससे व्यावृत्त की गई कार्यवाहियों को लागू किया जा सके।

अतः यह विधेयक।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्यमन्त्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 2 मार्च, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9093—H.V.S.—H.G.P. Pkl.